according to the agreement, are required to supply adequate labour commensurate with the quantum of work. Since the average requirement was assessed as 110 men per day the Divisional Superindent, Allahabad, in order to exercise requisite control, issued instructions for maintaining proper records of labour supplied by the Society from day-to-day.

(b) The Society was aware of the fact that they are paid a lumpsum amount of Rs. 21,175 per month on the basis of 100 men per day. No fictitious records are being maintained by Railway staff.

(c) No.

(d) Does not arise.

माल गाड़ियों के गार्डों के कार्य

2743. **श्री सुभाष आहुजा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेलेक्ट ग्रेड, ग्रेड 'ए' तथा ग्रेड 'बी' के रेल गार्डों के लिए निर्धारित ड्यूटी रोस्टर होता है ;

(ख) क्या 'सी' ग्रेड के गार्डों तथा मालगाड़ियों के गार्डों के लिए कोई निर्धारित ड्यूटी रोस्टर होता है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मालगाड़ियों के गार्डों को किस आधार पर ड्यूटी दी जाती हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क), (ख) और (ग). नियम यह है कि निश्चित पथ और निर्धारित समय के अनुसार चलने वाली मेल, एक्सप्रेस तथा सवारी गाड़ियों को चलाने वाले विशेष ग्रेड के गार्ड तथा 'ए' और 'बी' ग्रेडों के गार्ड निश्चित ड्यूटी लिक के अनुसार ही अपनी ड्यूटी करते हैं। ग्रेड 'सी' के कुछ गार्ड भी, जो फुटकर द्रुत परिवहन गाड़ियां चलाते हैं, निश्चित ड्यूटी लिक के आधार पर ही अपनी ड्यूटी करते हैं, क्योंकि ये भी निर्धारित समय पर चलने वाली गाड़ियां हैं।

चूंकि माल गाड़ियां आम तौर पर उस समय चलायी जा सकती हैं जब उनके लिए स्टाक और इंजन प्राप्त हों तथा मार्ग उपलब्ध हो, इसलिए इन गाड़ियों को चलाने वाले गार्ड ग्रेड 'सी' किसी निश्चित ड्यूटी लिक के अनुसार काम नहीं कर सकते और उन्हें "पहले आओ, पहले जाओ" के सिद्धान्त के अनुसार ड्यूटी पर लगाया जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कार्य घंटे विनियमों के अन्तर्गत जहां तक संभव हो, काम के घण्टों की सीमाओं और विश्राम सम्बन्धी व्यवस्थाओं का उल्लंघन न होने पाये।

कोयला पायलट जैसी माल गाड़ियां चलने वाले ग्रेड 'बी' के गार्ड, भी 'पहले आओ, पहले जाओ' के सिद्धान्त के अनुसार काम करते हैं।

Total Strength of S.C. and S.T. PWIs.

2744. SHRI R. L. KUREEL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what is the total strength of P.W.Is. Grade 250—380 Revised scale Rs. 425—700 who were promoted to Grade 550—750 on Northern Railway in the year 1975, 1976 and 1977;

(b) what is the total strength of S.C. and S.T. P.W.Is. who were promoted to Grade 550—750, whether the reserved quota for SCs and STs is fulfilled; and

(c) if not, reasons therefor, who were the responsible officers for not filling up the quota, what action is proposed to be taken against them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI